जी. सी. मित्तल, जे. के समक्ष

रैसन टेलर्स,–अपीलकर्ता

बनाम

कर्मचारी राज्य बीमा निगम,–प्रतिवादी

एफ.ए.ओ. संख्या 139/1980

2 नवंबर, 1981

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (XXIV 1948 का)–धारा 1(5) और 2(12)–फैक्टरी अधिनियम (LXIII 1948 का)–धारा 2(क)–पंजाब दुकानें एवं वाणिज्यिक संस्थाएं अधिनियम (XV 1948 का)–धारा 2(30)–अधिसूचना जिससे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम को उन परिसरों पर लागू किया गया जहाँ 'निर्माण प्रक्रिया' चल रही है और दस या उससे अधिक लोग काम करते हैं–इस अधिनियम को उन दुकानों पर भी लागू किया गया जहाँ बीस या उससे अधिक लोग काम करते हैं–दर्जी मास्टर जो अपने ग्राहकों के आदेशानुसार कपड़े सिलता है और बीस से कम लेकिन दस से अधिक लोगों को रोजगार देता है–ऐसी गतिविधि–क्या 'निर्माण प्रक्रिया' में शामिल है–ऐसे दर्जी मास्टर का परिसर–क्या एक 'दुकान' है–कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधान–क्या लागू होते हैं।

निर्णय दिया गया कि एक दर्जी मास्टर केवल अपने ग्राहकों के लिए, उनके प्रत्येक ग्राहक के आकार के अनुसार, ग्राहक द्वारा दिए गए कपड़े से कपड़े सिलता है। प्रत्येक व्यक्तिगत ग्राहक के लिए उसकी फिटिंग के अनुसार कपड़े सिलना एक सेवा प्रदान करने का मामला होगा और इसे 1948 के फैक्टरी अधिनियम की धारा 2 (क) के अर्थ में 'निर्माण प्रक्रिया' कहा नहीं जा सकता, और इसलिए, परिसर एक फैक्टरी नहीं होगा। इस प्रकार, एक दर्जी मास्टर का व्यवसाय 'निर्माण प्रक्रिया' की परिभाषा के भीतर नहीं आएगा और 'दुकान' की परिभाषा के भीतर आएगा जहां ग्राहकों को सेवा प्रदान की जाती है और यदि दस से अधिक लेकिन बीस से कम लोग परिसर पर नियोजित हैं तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, लागू नहीं होगा। (पैरा 4 और 9)

श्री आर. एस. शर्मा, पी.सी.एस., ई.एस.आई. जज, चंडीगढ़ के 30 अक्टूबर, 1979 के आदेश से प्रथम अपील, जिसमें आदेश दिया गया कि आवेदन असफल होता है और इसे यहाँ से

खारिज किया जाता है। मामले की विशेष परिस्थितियों में पक्षों को अपने-अपने खर्चे उठाने को कहा गया है। खर्चे का मेमो तैयार किया जाए। वकील की फीस रु. 50।

दावा: कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 71 के तहत आवेदन, इस प्रभाव के लिए घोषणा कि आवेदक की स्थापना की दुकान पर ई.एस.आई. अधिनियम, 1948 के तहत कवरेज अवैध, मनमाना, अमान्य और शुरुआत से ही शून्य है और प्रतिवादी आवेदक से ई.एस.आई. अधिनियम के तहत कोई राशि वसूल करने के हकदार नहीं हैं।

आर. एल. चोपड़ा, अधिवक्ता, अपीलकर्ता के लिए।

के. एल. कपूर, अधिवक्ता, प्रतिवादी के लिए।

निर्णय

कोकल चंद मित्तल, जे.–

1. मेसर्स रैसन टेलर्स एक साझेदारी कंपनी है जो दर्जी का काम करती है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अपने निरीक्षक के माध्यम से कंपनी के कामकाज की एक रिपोर्ट प्राप्त की और यह रिपोर्ट की गई कि वे 10 से अधिक व्यक्तियों को नियोजित कर रहे थे और विद्युत शक्ति स्थापित की गई थी और उस आधार पर क्षेत्रीय निदेशक ने 2,814-25 रुपये के योगदान की मांग करते हुए एक नोटिस जारी किया। कंपनी ने नोटिस को स्वीकार नहीं किया और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 75 के तहत कर्मचारी राज्य बीमा न्यायाधीश के समक्ष एक आवेदन दायर किया। कंपनी का तर्क था कि उन्होंने अपनी स्थापना में 10 या उससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित नहीं किया था और उनकी स्थापना अधिनियम की धारा 2 (12) में निहित 'फैक्टरी' की परिभाषा के भीतर नहीं आती है और इसलिए वे अधिनियम के प्रावधानों के तहत शामिल नहीं थे। कंपनी के तर्क का निगम द्वारा खंडन किया गया और पक्षों के प्रतिस्पर्धा पर, कुछ मुद्दे तय किए गए और अब विचारणीय महत्वपूर्ण मुद्दा इस प्रकार है: –

   "क्या याचिकाकर्ता की स्थापना कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत शामिल नहीं है जैसा कि आरोपित है? ओपीपी।"

   आवेदन को नीचे की अदालत द्वारा 30 अक्टूबर, 1979 को दिए गए आदेश के बाद खारिज कर दिया गया, यह पाया गया कि 11 कर्मचारी काम कर रहे थे और इसलिए

कंपनी अधिनियम द्वारा शामिल की गई थी। अदालत के नीचे विस्तृत लिखित तर्क प्रस्तुत किए गए थे और यह दिखाने के लिए बिंदु कि यदि 11 कर्मचारी थे तो भी कंपनी की स्थापना अधिनियम के दायरे में नहीं आएगी, उसे इस आधार पर विचारित और निर्णयित नहीं किया गया कि वे बिंदु अधिनियम की धारा 75 के तहत दायर किए गए आवेदन में उल्लेखित नहीं थे। उपर्युक्त आदेश के विरुद्ध, कंपनी द्वारा वर्तमान अपील दायर की गई थी जिसमें मोशन का नोटिस जारी किया गया था। दोनों पक्षों के वकीलों की उपस्थिति में, मोशन बेंच ने निम्नलिखित आदेश पारित किया: –

> "इस अपील में शामिल महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न यह है कि विचाराधीन परिसर एक दुकान है या एक फैक्टरी। स्वीकृत। स्थगन अस्वीकृत।"

अब यह मामला मेरे समक्ष अंतिम निपटान के लिए रखा गया है।

2. पक्षों के वकीलों सुनने के बाद, मेरा विचार है कि मोशन बेंच द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न का निर्णय अपीलकर्ता-कंपनी के पक्ष में किया जाना चाहिए, यह पाते हुए कि जिस परिसर में दर्जी का व्यवसाय किया जाता है, वह एक दुकान होगा और फैक्टरी नहीं, और इसलिए, इस आधार पर यह देखना होगा कि कंपनी द्वारा चलाया जा रहा व्यवसाय अधिनियम के दायरे में आएगा या नहीं।

3. मैं अपीलकर्ता-कंपनी के उस तर्क में कोई योग्यता नहीं पाता कि कंपनी में कर्मचारियों की संख्या 10 से कम थी, और इसलिए, मैं इस मामले को नीचे की अदालत द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष पर निर्णय करने के लिए आगे बढ़ूंगा कि निगम के तर्क पर कर्मचारियों की संख्या 11 थी। निगम द्वारा अपीलकर्ता-कंपनी पर अधिनियम का विस्तार करने का प्रयास किया जा रहा है, आधारित है अधिसूचना संख्या 10I02-SA-III-76/103003, जो 30 अगस्त, 1975 को तारीखित है, प्रकाशित की गई थी चंडीगढ़ प्रशासन गजट (असाधारण) में। संबंधित अनुसूची इस प्रकार है: –

> कोई भी परिसर, उसके प्रांगण सहित, जहाँ दस या अधिक व्यक्ति, लेकिन किसी भी स्थिति में बीस से कम व्यक्ति, पिछले बारह महीनों में किसी भी दिन वेतन के लिए नियोजित हैं या नियोजित थे, और जिसके किसी भाग में निर्माण प्रक्रिया विद्युत शक्ति की सहायता से की जा रही है या सामान्यतया की जाती है, लेकिन खदानों के संचालन के अधीन आने वाली खदान को छोड़कर, जो माइन्स एक्ट, 1952 (35 का 1952) के अधीन है, या एक रेलवे चलाने वाला शेड या कोई ऐसी स्थापना जो केवल कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (34 का 1948) की धारा 2 के खंड 12 में निर्दिष्ट 'निर्माण प्रक्रिया' में लगी हुई है।

2. * * * *

3. निम्नलिखित स्थापनाएं जहां बीस या अधिक व्यक्ति पिछले बारह महीनों में किसी भी दिन वेतन के लिए नियोजित हैं या नियोजित थे, नामतः: –

(i) हॉस्टल;

(ii) रेस्टोरेंट;

(iii) दुकानें;

(iv) सड़क मोटर परिवहन स्थापना;

(v) सिनेमा, पूर्वावलोकन थिएटरों सहित; और

(vi) समाचार पत्र स्थापनाएं जैसा कि कामकाजी पत्रकारों (सेवा की शर्तें) और विविध प्रावधान अधिनियम, 1965 (45 का 1965) की धारा 2(डी) में परिभाषित है।

जबकि निगम का मामला यह है कि एक दर्जी मास्टर का व्यवसाय उपरोक्त अधिसूचना के आइटम संख्या 1 द्वारा शामिल किया जाएगा, वहीं अपीलकर्ता-कंपनी का मामला यह है कि यह आइटम संख्या 3 के खंड (iii) के अंतर्गत आएगा। अब प्रतिद्वंद्वी तर्कों की महत्ता पर ध्यान दिया जा सकता है।

4. के. एल. कपूर, निगम के वकील के अनुसार, चूंकि दर्जी का व्यवसाय जहां चल रहा है, वहां इलेक्ट्रिक कनेक्शन फिट किया गया है, इसलिए, वहां इलेक्ट्रिक प्रेस का उपयोग किया जा सकता है और इलेक्ट्रिक प्रेस के उपयोग का अर्थ होगा कि विद्युत शक्ति की सहायता से 'निर्माण प्रक्रिया' का संचालन किया जा रहा है, और इसलिए, उक्त अधिसूचना का आइटम संख्या 1 लागू होगा जिसके तहत यदि 10 या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं, तो फर्म अधिनियम के दायरे में आएगी और योगदान देना होगा। निगम के निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पढ़ी गई। इसमें केवल यह उल्लेख किया गया है कि दर्जी के परिसर में 11 कर्मचारी काम कर रहे थे और वहां विद्युत कनेक्शन मौजूद था। रिपोर्ट में यह नहीं कहा गया है और न ही कोई साक्ष्य है कि विद्युत कनेक्शन के साथ क्या किया जाता है और विद्युत शक्ति की सहायता से कौन सी प्रक्रिया की जाती है। उस मामले पर, निरीक्षक की रिपोर्ट और वर्तमान रिकॉर्ड पूरी तरह से चुप है। चूंकि

दर्जी का व्यवसाय चल रहा है, इसलिए, श्री कपूर (निगम के लिए सीखे गए वकील) ने यह मान लिया कि कपड़े सिलने के बाद, प्रेसिंग को इलेक्ट्रिक प्रेस के साथ किया जाना चाहिए और इसलिए, पूरी प्रक्रिया 'निर्माण प्रक्रिया' में आएगी जो उक्त अधिसूचना के आइटम संख्या 1 द्वारा शामिल है। मैं इस विचार से पूरी तरह सहमत नहीं हो सकता। अधिनियम की धारा 2(12) 'फैक्टरी' को परिभाषित करती है जिसमें 'निर्माण प्रक्रिया' शब्द शामिल है और उस शब्द को 1948 के फैक्टरीज अधिनियम में दिए गए अर्थ के रूप में ही समझा जाता है। 'निर्माण प्रक्रिया' की परिभाषा को फैक्टरीज अधिनियम की धारा 2 (क) में पढ़ने से यह पता चलता है कि जब भी किसी उत्पाद को बनाने, बदलने, मरम्मत करने, सजाने, समाप्त करने, पैक करने, तेल लगाने, धोने, साफ करने, तोड़ने, नष्ट करने या अन्यथा किसी वस्तु या पदार्थ को उसके उपयोग, बिक्री, परिवहन, वितरण या निपटान के लिए अनुकूल बनाने के लिए किसी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है तो इसे निर्माण प्रक्रिया कहा जाएगा। पक्षों का स्वीकार किया गया मामला यह है कि अपीलकर्ता-कंपनी केवल अपने ग्राहकों के कपड़े उनके प्रत्येक ग्राहक के आकार के अनुसार, ग्राहक द्वारा दिए गए कपड़े से सिलती है। अपने फिटिंग के अनुसार प्रत्येक व्यक्तिगत ग्राहक के लिए कपड़ों की तैयारी सेवा प्रदान करने का एक मामला होगा और इसे परिभाषा के अर्थ में 'निर्माण प्रक्रिया' नहीं कहा जाएगा, और इसलिए, यह एक फैक्टरी परिसर नहीं होगा। चूंकि उक्त अधिसूचना के आइटम नंबर 3 में 'स्थापना' और 'दुकानें' शब्द का उपयोग किया गया है, इसलिए इस मामले को अंतिम रूप से निर्णय करने के लिए उनका अर्थ भी पता लगाना होगा। 'स्थापना' और 'दुकान' अधिनियम में परिभाषित नहीं किए गए हैं। हालांकि, मुझे पता चला है कि उन्हें पंजाब दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 में इस प्रकार परिभाषित किया गया है: –

> "धारा 2 (बी) 'स्थापना' का अर्थ एक दुकान या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान होता है।
>
> धारा (30) 'दुकान' का अर्थ है कोई भी परिसर जहां कोई व्यापार या व्यापार किया जाता है या जहां ग्राहकों को सेवाएं प्रदान की जाती हैं और इसमें कार्यालय, स्टोर-कक्ष, गोदाम, बिक्री-डिपो या वेयरहाउस शामिल हैं, चाहे वही परिसर में हों या अन्यत्र, जो इस तरह के व्यापार या व्यापार के संबंध में उपयोग किए जाते हैं लेकिन इसमें वाणिज्यिक प्रतिष्ठान या एक फैक्टरी से जुड़ी दुकान शामिल नहीं है जहां दुकान में नियोजित व्यक्तियों को फैक्टरीज अधिनियम, 1948 के तहत श्रमिकों के लिए प्रदान किए गए लाभों की अनुमति है"

उपरोक्त परिभाषाओं को पढ़ने से स्पष्ट रूप से दिखाया जाता है कि एक स्थापना में एक दुकान शामिल होती है और एक दुकान का अर्थ है कोई भी परिसर जहां व्यापार या व्यवसाय किया जाता है या जहां ग्राहकों को सेवाएं प्रदान की जाती हैं। 'दुकान' और

'वाणिज्यिक प्रतिष्ठान' की परिभाषाओं पर इस अदालत की एक पूर्ण पीठ के समक्ष विचार किया गया था **राम चंदर बनाम राज्य**[1] मामले में, जिसका संबंधित भाग इस प्रकार है: –

> "इस प्रश्न का निर्धारण करने के लिए 'दुकान' और 'वाणिज्यिक प्रतिष्ठान' की परिभाषा का संक्षिप्त विश्लेषण आवश्यक है। दोनों के लिए एक समान तत्व है, अर्थात, वहाँ परिसर होना चाहिए जहाँ, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मामले में कोई भी व्यापार, व्यापार या पेशा लाभ के लिए किया जाता है और एक दुकान के मामले में जहां कोई व्यापार या व्यवसाय किया जाता है या जहां ग्राहकों को सेवाएं प्रदान की जाती हैं। व्यापार या व्यवसाय या पेशे का संचालन निश्चित रूप से परिसर के साथ घनिष्ठ और अंतरंग संबंध होना चाहिए। इसे विवादित नहीं किया जा सकता है और वास्तव में ऐसा नहीं किया गया था कि व्यापार, पेशा या व्यवसाय बिना परिसर के नहीं चलाया जा सकता, परन्तु परिभाषा में परिसर की आवश्यकता निहित है और दुकान के मामले में इसमें कार्यालय, भंडारण कक्ष, गोदाम या वेयरहाउस शामिल हैं, चाहे वे समान परिसर में हों या अन्यथा इस तरह के व्यापार या व्यवसाय से संबंधित प्रयोग किए जाएं। दूसरे शब्दों में, इन कार्यालयों आदि का परिसर से आवश्यक संबंध होना चाहिए जो एक दुकान है। दूसरी आवश्यकता यह है कि इन परिसरों में व्यापार या व्यवसाय या ग्राहकों को सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए, दुकान के मामले में, और, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मामले में व्यापार या व्यवसाय या पेशा लाभ के लिए किया जाना चाहिए। इसलिए प्रश्न उठता है आखिर दुकान क्या है। इस शब्द को एक सामान्य व्यक्ति द्वारा समझा जाना कुछ ज्यादा और कुछ कम नहीं है, बस एक परिसर जहां सामान खरीदे या बेचे जाते हैं। जहां उनकी कीमत चुकाई जाती है या चुकाई जानी है, यानी खरीद या बिक्री नकद या उधार पर होती है, यह नहीं कहा जा सकता कि जब ग्राहकों को सामान बेचा जा रहा है तो कोई सेवा प्रदान नहीं की जा रही है। संभवतः, इस अतिरिक्त तत्व को विशेष रूप से दुकान की परिभाषा में इसलिए पेश किया गया है क्योंकि कुछ स्थानों को दुकान के रूप में जाना जाता है, उदाहरण के लिए, टिनस्मिथ की दुकान या मैकेनिक की दुकान; जहां सेवाएं बेची जाती हैं सामानों के बजाय, या, हो सकता है कुछ हिस्से में सामान बेचे जाते हैं और कुछ हिस्से में सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसी कारण से दुकान की परिभाषा में, व्यापार या व्यवसाय के संचालन के

[1] 1963 P.L.R.1

अतिरिक्त, एक और वैकल्पिक आवश्यकता की कल्पना की गई है, अर्थात्, ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करना।

उपरोक्त पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि जहां ये सेवाएं प्रदान की जाती हैं, वह परिसर दुकान के रूप में जाना जाता है।

5. क्या फैक्ट्री को 'स्थापना' या 'वाणिज्यिक स्थापना' के शब्द में शामिल किया जाएगा, यह मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष B. P. Hita, कार्य प्रबंधक, **केंद्रीय रेलवे हॉल, परेल, बॉम्बे, आदि बनाम C. M. प्रधान, आदि**[2] मामले में विचार के लिए आया। रिपोर्ट के पैरा 19 में इस प्रकार अवलोकन किया गया था:

> "हमने पहले ही देखा है कि 'वाणिज्यिक स्थापना' और 'दुकान' को परिभाषित करते समय, अधिनियम ने उक्त अभिव्यक्तियों से 'फैक्ट्री' को स्पष्ट रूप से बाहर रखा है। यह सत्य है कि 'स्थापना' की परिभाषा में फैक्ट्री को स्पष्ट रूप से बाहर नहीं रखा गया है, परंतु यह स्पष्ट है कि अधिनियम द्वारा फैक्ट्री को अलग और विशिष्ट माना गया है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिनियम में स्थापना के लिए लागू प्रावधान फैक्ट्रीज पर लागू नहीं होते हैं। दूसरे शब्दों में, हालांकि 'स्थापना' की परिभाषा पर्याप्त व्यापक है, यह अधिनियम के उद्देश्यों के लिए फैक्ट्री को शामिल नहीं करती है। यह संभावना है कि एक आवासीय होटल जैसी स्थापना से जुड़ा रसोईघर फैक्ट्री की परिभाषा को संतुष्ट कर सकता है; लेकिन हमें लगता है कि ऐसी स्थापना का एक अंग अधिनियम द्वारा प्रथम दृष्टया मुख्य स्थापना से अलग और भिन्न रूप से माना जाना इरादा नहीं है, और इसलिए इसे स्थापना का एक भाग माना जाएगा और उससे संबंधित अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित किया जाएगा। उत्तरदाताओं द्वारा नियोजित फैक्ट्री, किसी भी स्थापना से जुड़ी नहीं है, बहुत कम उसका अविभाज्य अंग है, और इसलिए इस शैक्षिक पहलू का विचार जो हमारे सामने महान्यायवादी द्वारा उठाया गया था, वर्तमान अपील में आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।"

उपरोक्त का पठन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि 'फैक्ट्री' को स्थापना की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है।

6. क्या एक डॉक्टर द्वारा उसके मरीजों के लिए तैयार की गई दवाओं का मिश्रण 'निर्माण प्रक्रिया' कहा जा सकता है, जो कि बिक्री-कर कानून के दायरे में आता है, इस पर विचार किया गया था सुप्रीम कोर्ट में **कमीशनर ऑफ सेल्स टैक्स, उ.प्र. बनाम डॉ. सुख**

[2] AIR 1959 ST. 1226

देव[3] में, जहां यह तय किया गया था कि यह प्रक्रिया 'निर्माण' की अभिव्यक्ति के अंतर्गत नहीं आ सकती है क्योंकि चिकित्सा प्रैक्टिशनर अपने मरीजों को अलग-अलग दवाएं और फार्मास्युटिकल तैयारियां प्रदान करता है। जब उन्हें उसके कर्मचारियों द्वारा उसके निर्देशों के तहत एक विशेष रोगी के उपयोग के लिए मिश्रित किया जाता है ताकि एक विशिष्ट उद्देश्य प्राप्त किया जा सके, वह आम बाजार में बिकने वाले सामान का मिश्रण नहीं होता है, जैसा कि फार्मास्युटिक कंपनियों द्वारा थोक निर्माण के मामले में होता है। केरल उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच ने **Darsak Ltd, बनाम E.S.L Corporation** में 'दुकान परिसर' के संबंध में अधिनियम के साथ संबंध में निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंची:

> 'दुकान' एक ऐसा शब्द नहीं है जिसे नोटिफिकेशन या अधिनियम में परिभाषित किया गया है। इसलिए, इसे सामान्य बोलचाल में समझे जाने वाले अर्थ में होना चाहिए। यह कि लोकप्रिय अर्थ इस शब्द को दिया जाना चाहिए, यह LT. Commr., के निर्णय से संकेत मिलता है, जहां 'दुकान' शब्द का उल्लेख आदेश में **A. P. v. ताज महल होटल**[4] में किया गया है। शब्दकोश के अनुसार 'दुकान' का अर्थ है कोई ऐसी जगह जहां किसी भी प्रकार के उद्योग का पालन किया जाता है; रोजगार या गतिविधि की जगह - उद्योग का अर्थ है व्यवस्थित आर्थिक गतिविधि या उसकी कोई भी शाखा।" आम तौर पर एक दुकान एक ऐसी जगह होती है जहां खरीदने और बेचने जैसी व्यावसायिक गतिविधियां होती हैं। लेकिन ऐसी गतिविधि का होना आवश्यक नहीं है ताकि एक जगह को दुकान कहा जा सके। यह एक सेवा केंद्र हो सकता है जहां मूल्य के लिए सेवा की जाती है। रेडियो मरम्मत की दुकान, जूता मरम्मत की दुकान, साइकिल मरम्मत की दुकान उदाहरण हैं। जहां कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं है, वहां केवल कर्मचारियों का व्यस्त होना उसे दुकान बनाने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। आमतौर पर दुकान शब्द को ग्राहक के साथ जोड़ा जाता है। जहां कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं है और जगह व्यावसायिक गतिविधि के लिए इरादा नहीं की गई है, वहां ग्राहक के लिए उस कार्यालय से निपटने का कोई अवसर नहीं होगा।इस मामले के उद्देश्य के लिए 'दुकान' शब्द की और अधिक व्याख्या करना आवश्यक नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें यह प्रतीत होता है कि इस मामले में प्रमाणित तथ्यों पर आधारित, अपीलकर्ता कंपनी का कैनन शेड

[3] AIR 1969 S.C. 499
[4] AIR 1972 SC 168

कार्यालय कुछ भी नहीं बल्कि एक दुकान है। यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ इसे खोजने में कोई कठिनाई हो।

7. साड़ियों की छपाई का मामला गुजरात उच्च न्यायालय में **शांतिलाल पोपटलाल कोटक बनाम रमणिकलाल मोहनलाल आश्रा और दूसरे,**[5] में विचाराधीन आया, जहां दस या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित थे। उस मामले के तथ्य यह थे कि ग्राहक अपने कपड़े उनके परिसर में छपाई के लिए लाते थे और अपनी विशिष्टता के अनुसार छपाई करवाते थे। छपाई कारोबार केवल छपाई के कुशल कार्य की सेवा प्रदान करता था और जिस परिसर में यह काम किया जा रहा था उसे 'दुकान' की परिभाषा के अंतर्गत आने के रूप में माना गया था। निर्णय का संचालन भाग इस प्रकार है:

> "लेकिन याचिकाकर्ता का परिसर वह स्थान है जहां ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने का व्यवसाय संचालित किया जाता है। यहीं पर ग्राहकों के आदेश और निर्देश प्राप्त होते हैं और यहीं पर वे सामान ग्राहकों को वापस दिए जाते हैं जब उनकी आवश्यकतानुसार काम किया जाता है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता का कार्यस्थल जिसे वह फैक्ट्री या प्रयोगशाला कहते हैं जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाता है, जो कि परिसर पर संचालित व्यापार से संबंधित है, वह भी बॉम्बे दुकान और स्थापना अधिनियम की धारा 2(27) के अंतर्गत 'दुकान' की परिभाषा के समावेशी भाग के रूप में एक दुकान है।

8. मुझे भी **E.S.I. कॉर्पोरेशन बनाम M/s ट्रिप्लेक्स ड्राई-क्लीनर्स**[6] मामले में अधिनियम के तहत एक ड्राई-क्लीनिंग व्यवसाय से निपटने का अवसर मिला, जहाँ यह निर्णय दिया गया था कि ड्राई-क्लीनिंग व्यवसाय कोई 'विनिर्माण प्रक्रिया' नहीं है और इस निष्कर्ष पर पहुँचने का मुख्य कारण यह था कि ड्राई-क्लीनिंग की प्रक्रिया के बाद कोई नया या स्वतंत्र विपणन योग्य वस्तु अस्तित्व में नहीं आती थी।

9. उपरोक्त सभी कारणों से मैं इस विचार का हूँ कि अपीलकर्ता द्वारा वर्तमान मामले में चलाया जा रहा टेलर-मास्टर व्यवसाय 'विनिर्माण प्रक्रिया' की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा और 'दुकान' की परिभाषा के अंतर्गत आएगा जहाँ ग्राहकों को सेवा प्रदान की जाती है, और इसलिए, वर्तमान मामला उक्त अधिसूचना के आइटम संख्या 3 (iii) के अंतर्गत आएगा न कि आइटम संख्या 1 के अंतर्गत। चूंकि आइटम संख्या 3 के तहत

---

[5] 1971 Lab. L.C.1287
[6] EAO 405 of 1978 decided on22nd October, 1981

एक दुकान तभी अधिनियम के दायरे में आएगी जब बीस या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित हों और चूंकि अपीलकर्ता फर्म ने केवल ग्यारह व्यक्तियों को नियुक्त किया है, उसका मामला अधिनियम के दायरे में नहीं आएगा और क्षेत्रीय निदेशक को अपीलकर्ता से योगदान मांगने के लिए नोटिस जारी करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

10. हालांकि, मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि उपरोक्त तर्क उस चिंता को नहीं बढ़ाएगा जो बाजार में बेचने के लिए कपड़े विनिर्माण कर सकती है, और जब भी उन तथ्यों पर आधारित कोई मामला विचार के लिए आएगा, तो उसे उसके अपने तथ्यों पर निर्णय किया जाएगा।

11. उपरोक्त दर्ज किए गए कारणों के लिए, मैं इस अपील को स्वीकार करता हूं, निचली अदालत के आदेश को निरस्त करता हूं और अधिनियम की धारा 75 के तहत दायर अपीलकर्ता के आवेदन को स्वीकार करते हुए यह मानता हूं कि क्षेत्रीय निदेशक द्वारा अपीलकर्ता से योगदान की मांग करने वाले नोटिस स्पष्ट रूप से अवैध और अधिकार क्षेत्र के बाहर थे और इसे यहां निरस्त किया जाता है। चूंकि इस मामले में एक कठिन कानूनी प्रश्न शामिल था, इसलिए मैं पार्टियों को उनके अपने खर्चे वहन करने के लिए छोड़ देता हूं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

निशा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
रेवाड़ी, हरियाणा